

1.6.16

पम्पवली राजस्व लोक अदालत सिविल को
पेश हुई। लायमान वकील, वकील युक्त
शेर सिंह और लायमान करव सिंह उपस्थित
हुए। आप पक्षों के प्राप्ति राजीनामा
प्रस्तुत की। अदालत कलम कि दोनों पक्षों
के समझौता हो चुका है। प्राप्ति के काम
चलाया नहीं चाहते हैं।

कलम : प्राप्ति आस्य निषेधाज्ञा
के कार्रवाई होप की जाती है। प्राप्ति निरस्त
किन्तु जाता है। पम्पवली फिल्टर सुमा
होकर गया है। काम की जाकर वाट लक्ष्मी
दाशिक्य दफ्तर की जाये।

उप जिला कलेक्टर
हिण्डीन सिटी, जिला करौली